संख्या–2100/33–3–2016–179/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायते, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 03 अगस्त, 2016

विषयः– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2016–17 एवं राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2016–17 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एन0–11019/30/2016–प्लानिंग/गर्वनेन्स, दिनांक 24 जून, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 2016–17 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतो के वर्ष 2015–16 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर ऑन–लाइन नामांकन करने हेतु 100 अंकों वाली सामान्य तथा 20 अंकों वाली 9 विषयगत प्रश्नावलियॉ, भारत सरकार की वेबसाइट (**www.panchayataward.gov.in**) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2015–16 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2016–17 हेतु ऑन–लाइन नामांकन कर सकें।

(1) भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं :–

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2015–16 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वःमूल्यांकन कर दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**Distt. PPAC**) किया जाना।
- जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**Distt. PPAC**) द्वारा अनुमोदनोपरान्त चयनित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (**SPPAC**) को दिनांक 20 अगस्त, 2016 तक अग्रसरित किया जाना।
- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1)/33–3–2015–153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (**SPPAC**) द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 26 ग्राम पंचायतों, 4 क्षेत्र पंचायतों एवं 2 जिला पंचायतों का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 30.09.2016 के पूर्व उपलब्ध करायी जानी है।
- विषयगत पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा 9 विषयों का चयन किया गया है, यथा–साफ–सफाई, नागरिक सेवाये (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना), नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन, अधिकारहीन वर्ग की सेवायें (अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं), सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन, आपदा प्रबन्धन, ग्राम पंचायतों को स्वयं सेवी संस्थाओं/सी0बी0ओ0 द्वारा दी जा रहीं सेवायें, राजस्व को बढ़ावा तथा ई–गर्वनेन्स में से किसी एक विषय पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015–16 में किये गये उत्कृष्ट कार्य के आधार पर ऑनलाइन नामांकन किया जाए।

- भारत सरकार द्वारा इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों द्वारा किसी जनपद से 2 क्षेत्र पंचायतें, तथा 2 ग्राम पंचायतें से अधिक पुरस्कार के लिए प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।
- स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कर दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई पंचायतों को विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2016–17 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2015–16 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर नामांकन किया जाना है।
- इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इस वर्ष के पुरस्कार हेतु पुनर्गठन के पूर्व जो ग्राम पंचायते अस्तित्व में थी वे ही नामांकन की हकदार होगी।

2. योजना का उद्देश्य :–

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2016–17 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के वर्ष 2015–16 के कार्यो के मूल्यांकन हेतु पंचायतीराज मंत्रालय की वेब–साइट (**www.panchayataward.gov.in**) से प्राप्त 100 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियॉ तथा उपर्युक्त विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत के वर्ष 2015–16 के 9 विषयगत कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषयगत 20 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियॉ का हिन्दी में अनुवाद कर उक्त हिन्दी वाली प्रश्नावलियॉ पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (**www.panchayataward.gov.in**) पर ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के प्रयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी है, वे विगत वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत जारी की गई यूजर आईडी

तथा पासवर्ड के माध्यम से उक्त पंचायतों की प्रश्नावलियों में दिये गये प्रश्नो को देखकर साक्ष्यों के आधार पर उत्तर भरेगें/संस्तुति/प्रश्नावलियॉ फ्रीज करेगें।

3. इस निमित्त पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (विषयगत पुरस्कार) वर्ष 2016–17 की प्रश्नावलियॉ ऑन–लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी:–

(1) पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2016–17 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें प्राप्त प्रश्नावलियों को ऑन–लाइन अपने स्तर से भरकर फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को अग्रसरित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) अनुमोदित प्रश्नावलियॉ राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट अमेटी (SPPAC) को अग्रसरित कर फ्रीज करेगी। यह कार्य वेब–पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। सचिव ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी की युजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी को तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की आईडी और पासवर्ड उनके ई–मेल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में– पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 9 विषयगत प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों में से किसी एक विषयगत 20 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नो के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन–लाइन भर कर फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परिक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का परीक्षण/अनुमोदन कर, अनुमोदित प्रश्नावलियॉ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन फ्रीज की जायेगी।

(3) क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में–पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध क्षेत्र पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परिक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का अनुमोदन कर अनुमोदित प्रश्नावलियॉ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन फ्रीज की जायेगी।

नोट– जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित करने वाली पंचायतो की कुल संख्या 20 ग्राम पंचायतें प्रति जनपद तथा 4 क्षेत्र पंचायतें प्रति जनपद से अधिक न हो।

(4) जिला पंचायत के सम्बन्ध में–पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (**www.panchayataward.gov.in**) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**SPPAC**) को ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी।

(5) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी एवं समस्त जनपदों की जिला पंचायत की सामान्य बैठकों में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0 को उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी अथवा सभी प्रश्नावलियॉ विभाग की वेब–साईट **www.panchayataward.gov.in** पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

(6) उपरोक्त योजना की ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयको/जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी को प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण को समय/दिनांक/स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु समस्त जनपदों के सबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बधित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक प्रश्नावलियॉ भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेगें। इस निमित्त सम्बन्धित जनपदों के ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारियों को युजर आईडी और पासवर्ड भी जारी किये जायेगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों व ग्राम सभा के वर्ष 2015–16 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर नामांकन करने हेतु 100 अंको वाली प्रश्नावलियॉ तथा इसके अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतो ने अतिविशिष्ट/अच्छा काम कियें हो के आधार पर नामांकन करने हेतु 20 अंको वाली प्रश्नावलियॉ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भरी जायेगी (समय सारणी साथ में संलग्न)। प्रश्नावलियों को भरकर दिनांक 15 अगस्त 2016 तक तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 20–08–2016 तक पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (**www.panchayataward.gov.in**) पर उपलब्ध कराना होगा।

(7) जनपदो व विकास खण्डों से समयान्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत व ग्राम सभा की ऑन–लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को, अंको के अवरोही क्रम में करने हेतु निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के निर्देशानुसार निदेशालय स्तर पर निम्नवत गठित कमेटी द्वारा किया जायेगाः–

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज उ0प्र0।
2. एक प्रशासनिक अधिकारी/खण्डाध्यक्ष पंचायती राज उ0प्र0।
3. दो कन्सलटेन्ट (आर0जी0पी0एस0ए0) पंचायती राज उ0प्र0।

उक्त कमेटी के परिक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 78 ग्राम पंचायतों व जनपदो से प्राप्त ग्राम सभा की सूची तैयार की जायेगी, तथा पंचायतो का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल का गठन का प्रस्ताव तैयार कर स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त पंचायतों का सत्यापन दल द्वारा सत्यापन किया जायेगा और सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 78 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को प्रस्तुत करेगी।

(8) सत्यापन दल की प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परिक्षण कर, पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करा जायेगा। तत्पश्चात स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 25–09–2016 तक ऑन–लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) इस प्रकार कुल चयनित 32 पंचायतों का भारत सरकार द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2016 को पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई पंचायतो को विषयगत श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

(10) उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2016–17 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2015–16 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन–लाइन नामांकन कर दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को फ्रीज की जायगी तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को दिनांक 20 अगस्त, 2016 तक स्टेट कमेटी को फ्रीज की जायेगी। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत भारत सरकार को स्टेट कमेटी द्वारा 2 अथवा 3 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव ही उपलब्ध कराना है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सत्यापन कर चयनित ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक धनराशि को विभिन्न मदो में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा व्यय किया जायेगा। समयान्तर्गत उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों में से 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

- पंचायतों द्वारा ऑन–लाइन स्वंमूल्यांकन कर जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को प्रश्नावलियॉ उपलब्ध कराने की संख्या।
- भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई जनपदो की ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों की संख्या।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज वेबसाइट (**www.panchayataward.gov.in**) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को संलग्न समय–सारिणी के अनुसार ऑन–लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–2100(1)/33–3–2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 दविजेन्दर कुमार शर्मा संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल; जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड नं0: 110001) के पत्र संख्या एन0–11019/30/2015–प्लानिंग दिनांक 24–06–2016 के क्रम में।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
7– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ।
7– उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्टक सूर्यदीप काम्पलैक्स लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।
8– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक धनराशि को विभिन्न मदो में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा व्यय किया जायेगा। समयान्तर्गत उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों में से 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

- पंचायतों द्वारा ऑन–लाइन स्वंमूल्यांकन कर जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को प्रश्नावलियॉ उपलब्ध कराने की संख्या।
- भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई जनपदो की ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों की संख्या।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज वेबसाइट (**www.panchayataward.gov.in**) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को संलग्न समय–सारिणी के अनुसार ऑन–लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–2100(1)/33–3–2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 दविजेन्दर कुमार शर्मा संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड नं0 110001) के पत्र संख्या एन0–11019/30/2015–प्लानिंग दिनांक 24–06–2016 के क्रम में।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
7– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ।
7– उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्टक सूर्यदीप काम्पलैक्स लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।
8– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित व अपने अधिनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग
25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली — 110 001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
11th FLOOR, JEEVAN PRAKASH BUILDING,
25, K.G. MARG, NEW DELHI - 110 001

MoPR ISO 9001:2008 CERTIFIED

सत्यमेव जयते

Dr. Dvijendra Kumar Sharma
Joint Secretary
Tel: 011-23753818
Fax: 011-23356128

By email/Speed Post

D.O. N-11019/30/2016-Planning/Governance

Dated: 24th June, 2016

Dear Sir,

Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is incentivizing the best performing Panchayats by conferring Awards every year since 2011-12 on 24th of April, celebrated as National Panchayati Raj Day. The initiative is being continued and the nominations for the Panchayat Awards to be awarded during 2017 (Appraisal Year 2015-16) are now invited for the following categories of awards:

i) **Panchayat Sashaktikaran Puraskar (PSP)** - to be awarded to the best performing Panchayats (Gram, Intermediate and District) across the States/UTs in recognition of the good work that is done by Panchayati Raj Institutions at each level for improving delivery of services and public goods. States should ensure that **no more than two Intermediate Panchayats and two Gram Panchayats are nominated for PSP from one district.**

The nominations will be received for general and thematic categories. One-third of the total PSP awards are proposed in the categories of thematic awards. The nine thematic categories are:

- Sanitation,
- Civic Services (drinking water, street light, infrastructure),
- Natural Resource Management,
- Serving Marginalized section (women, SC/ST, disabled, senior citizen),
- Social Sector performance,
- Disaster Management,
- CBOs/ Individuals taking voluntary actions to support Gram Panchayats, and
- Innovation in revenue generation
- e-Governance – (*new theme added this year*)

(ii) **Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (RGGSP)** – to be awarded to Gram Panchayats only, for their outstanding contribution to the socio-economic development by involving Gram Sabhas.

(iii) The award for good work in implementation of "**Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme**"- to be awarded to Gram Panchayats only. The award is given by Ministry of Rural Development on the recommendations of MoPR.

(1) FVT Mode.
(2) NO. PRI to be recommended @ verified.

2. The online application forms for Panchayat Awards-2017 will open for entry from 1st July, 2016 at link http://panchayataward.gov.in. The points/timelines which may be kept in view are as follows:

- The Panchayats (at Gram, Intermediate or District level as the case may be) may apply for awards online by 20th August, 2016. State Governments/UT Administrations may forward the online nominations after due verifications to Ministry of Panchayati Raj by 30th September, 2016.
- The State should decide the work flow online to allow Panchayats to access the questionnaire to participate in the process. The User name/id and the password will remain same as provided by National Informatics Centre (NIC)-MoPR last year.
- States should ensure that the Intermediate and Gram Panchayats in Schedule V Areas are nominated in proportion to the number of Panchayats therein.

3. For more information regarding the award guidelines and procedure for filling up of online nominations, the Ministry's link http://panchayataward.gov.in may be referred. The Panchayats may contact nodal officers of the Panchayati Raj Department of the States/UTs or National Informatics Centre coordinator for assistance in filling up of the online nomination forms. In case of any difficulty, queries may be forwarded at **awards-mopr@nic.in** & **joshi.sk@nic.in.**

4. It is requested to nominate a State/UT Nodal Officer who would assist Panchayats in filling up online nomination forms and his/her contact details may also be shared with this Ministry at above e-mails. Video- conference will be soon arranged for the nodal officers. The states may keep watch on the Ministry's link to track updates on the matter.

5. The States/UTs are requested to give wide publicity to these Awards so that a large number of Panchayats doing good work could participate in it.

With regards,

Yours sincerely,

UC-
awards are sent to Resident comms.

Dvijendra Shukla 24/6/16
(Dr. Dvijendra Kumar Sharma)

The Chief Secretary,
All States and UTs.

Copy to :
1. Principal Secretaries/Secretaries/In-Charge, Panchayati Raj Department, All States / UTs.
2. NIC (Smt. Rama Hariharan, Scientist F / STD & Shri S.K. Joshi, Scientist C / SSA) for urgent action in this regard.

e-gov - new theme added.
2 GP per District (panchayat award).

4/2458/15

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्याः–2931(1)/33–3–2015–153/2015
लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु मार्ग निर्देशिका के बिन्दु 5.3.1 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तर पर पंचायत परफारमेन्स अससमेन्ट कमेटी को गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–2082(1) /33–1–2011–191जी0आई0/11 दिनांक 22.07.2011 को अवक्रमित करते हुए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त मार्ग निर्देशिका के बिन्दु 2.3 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य स्तर पर पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)–

1	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	आयुक्त ग्राम्य विकास अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	निदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
8	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।	सदस्य संयोजक
9	कंसलटेन्ट (RGPSA) पंचायती राज उ0प्र0।	सदस्य
10	उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित चार प्रधान, दो प्रमुख तथा एक अध्यक्ष जिला पंचायत एवं पंचायतीराज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

जनपद स्तरीय स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC)–

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी।	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी।	सदस्य सचिव
4	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य
5	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।	सदस्य

2– पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगेः–

(1) प्रश्नावली सूचकांक एवं कार्य के अंकन का निर्धारण।
(2) समय–समय पर सूचकांक प्रश्नावली तथा अंक दिये जाने पर पुनर्विचार किया जाना।
(3) जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कृत किए जाने वाली पंचायतों की संख्या का निर्धारण।
(4) पंचायतों की कार्य एवं उपलब्धि का मूल्यांकन।
(5) चयनित पंचायतों की उपलब्धियों के सत्यापन हेतु सर्वेक्षण/निरीक्षण दलों का गठन।

(6) योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत की जाने वाली जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन।

(7) अन्य समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गये निर्णयानुसार।

उक्त कार्यालय ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2931(1)/33-3-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
(2) समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
(3) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) पंचायती राज उ0प्र0।
(6) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
(7) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज उ0प्र0।
(8) समस्त उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0।
(9) समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्राचार्य।
(10) समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उ0प्र0।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–1
संख्या–2999 / 33–1–2011–191जीआई / 11
लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

शासन के [illegible] संख्या–2082 / 33–1–2011–191जीआई / 11, दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा पंचायती [illegible] भारत सरकार द्वारा सशक्तीकरण एवं [illegible] के बिन्दु 5.3.1 में [illegible] उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के [illegible] के अनुक्रम में गठित स्टेट पंचायत [illegible] निम्नलिखित 04 प्रधान, 02 [illegible] में कार्यरत एक गैर शासकीय [illegible] प्रमुख, 0[illegible] अध्यक्ष, जिला [illegible] प्रतिनिधि को सदस्य नामित किया जाता है–

(1) श्री प्रमोद कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विसई, विकास खण्ड निन्दूरा, जनपद बाराबंकी।
(2) श्री अमर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत धनेटी खडगपुर, विकास खण्ड क्यारा, जनपद बरेली।
(3) श्री निवास, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत [illegible], विकास खण्ड सइंया, जनपद आगरा।
(4) श्री कालिका प्रसाद, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत प्रेमीराज, विकास खण्ड काकोरी जनपद लखनऊ।
(5) श्री जितेन्द्र सिंह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, विकास खण्ड क्यारा, जनपद बरेली।
(6) श्रीमती कृष्णा कुमारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, विकास खण्ड माल, जनपद लखनऊ।
(7) श्रीमती ज्योति रावत, अध्यक्ष जिला पंचायत उन्नाव।
(8) कृषि वित्त निगम (ए.एफ.सी.) लखनऊ

राजेन्द्र कुमार गोयल
विशेष सचिव।

संख्या–2999(1) / 33–1–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
2– निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
3– परियोजना निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ लखनऊ।
4– नामित जनप्रतिनिधिगण।
5– कृषि वित्त निगम (ए.एफ.सी.) लखनऊ द्वारा निदेशक, पंचायतीराज लखनऊ।।
6– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

([illegible] रेखा पाण्डेय)
अनु सचिव।

4/ग्रा0/487/14

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या–2481/33–1–2013–92जी0आई0/2012
लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार–2015 हेतु डॉ0 अवतार सिंह सहोता, सीनियर इकोनामिक एडवाइजर, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी0ओ0 नं0जे0–11011/42/2013–मीडिया, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के साथ राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार–2015 की संलग्न (गाइडलाइन) मार्गनिर्देशिका के बिन्दु–09 के अनुसार राज्य स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	सचिव, बेसिक/प्राइमरी शिक्षा, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6.	अध्यक्ष द्वारा चयनित दो विशेषज्ञ। (1) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ। (2) संयुक्त निदेशक (श्री चन्दोला) पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।	"

2– जनपद स्तर से प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त समयान्तर्गत राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार–2015 हेतु ग्राम सभा के नामों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेगें।

संलग्नकःयथोक्त।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

संख्या–2481(1)/33–1–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्यगणों को।
2. डॉ0 अवतार सिंह सहोता, सीनियर इकोनामिक एडवाइजर, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या–डी0ओ0 नं0जे0–11011/42/2013–मीडिया, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के संदर्भ में।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र पृष्ठांकन सं0–4/433/1/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के संदर्भ में।

(2680)
संयुक्त निदेशक

निदेशक
26/8/14

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव।